राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य/2015/6326 भोपाल, दिनांक 16/06/2015

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषयः–एस.एन.सी.यू. में पदस्थ मानव संसाधन के दायित्वों के संबंध में दिशा–निर्देश।

–00–

(शिशु स्वास्थ्य वर्ष 2015–16 – परिपत्र क्रमांक – 3)

प्रदेश के समस्त जिलों में एस.एन.सी.यू. संचालित हैं। एस.एन.सी.यू. के सुचारु संचालन हेतु 4 शिशुरोग चिकित्सक, 19 महिला स्टॉफ नर्स, 1 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, 1 लैब टेक्नीशियन एवं सपोर्ट स्टॉफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रावधानित है।

शिशुरोग चिकित्सक –

एस.एन.सी.यू. के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक है कि शिशुरोग चिकित्सक 24 x 7 एस.एन.सी.यू. में उपलब्ध रहे। इस हेतु एस.एन.सी.यू. में पदस्थ शिशुरोग चिकित्सक 8–8 घंटे की Stay ड्यूटी अनिवार्य रुप से करें।

1. एस.एन.सी.यू. चिकित्सक जटिल प्रसव/सिज़ेरियन ऑपरेशन के समस्त प्रकरणों में अनिवार्य रुप से उपस्थित रहकर नवजात शिशुओं का प्रबंधन करेंगे एवं आवश्यकता होने पर एफ.बी.एन.सी. प्रोटोकॉल का पालन करते हुये भर्ती करेगें। नवजात शिशु को Observation में रखने पर दो घंटे बाद शिशु की स्थिति का पुनः आंकलन किया जाये, यदि शिशु की अवस्था स्थिर नहीं है तो उसे भर्ती किया जाये अन्यथा शिशु को माँ को दे दिया जाये।
2. भर्ती शिशुओं का उपचार एफ.बी.एन.सी. प्रोटोकॉल अनुसार किया जाये। एंटीबायोटिक का अनावश्यक उपयोग न करें।
3. 1750 ग्राम से कम वज़न, 32 सप्ताह से कम समय में जन्म, वेन्टीलेशन एवं एस.एन.सी.यू. में अति गंभीर अवस्था से सुधार होने वाले समस्त नवजात शिशुओं को एक माह की आयु में रेटिनोपेथी ऑफ प्रिमेच्योरिटी (ROP) की जाँच का परामर्श अनिवार्य रूप से देंगे। डिस्चार्ज के समय एस.एन.सी.यू. की केसशीट पर संबधित शिशु की माँ से परामर्श प्राप्त करने का हस्ताक्षर लेंगे।
4. एस.एन.सी.यू. इंचार्ज चिकित्सक, एस.एन.सी.यू. में उपयोग होने वाली औषधि/सामग्री/रिएजेन्ट्स इत्यादि की आवश्यकता का आंकलन कर 3 माह का इन्डेन्ट तैयार करें तथा स्टोर में बफर स्टॉक की उपलब्धि सुनिश्चित करें। खपत के आधार पर मासिक इन्डेन्ट द्वारा सामग्री प्राप्त करें। **मासिक इन्डेन्ट में प्रस्तुत मांग की तुलना में प्राप्ति कम होने की स्थिति में राज्य स्तर पर अवगत करायें (childhealthmecell@gmail.com)।**

   एस.एन.सी.यू. में भर्ती समस्त शिशुओं को निःशुल्क उपचार, जाँच, औषधि, तथा परिवहन प्रदाय किया जाये। यदि किसी विशेष जाँच की व्यवस्था चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है तो निजी संस्था/क्लीनिक/चिकित्सक को रोगी कल्याण समिति के माध्यम से इम्पेनल कर सुविधा प्रदान की जाये तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
5. एस.एन.सी.यू. इन्चार्ज चिकित्सक/स्टॉफ नर्स संस्थागत फॉलोअप हेतु निःशुल्क परिवहन सुनिश्चित करेंगे।

6. एस.एन.सी.यू. में भर्ती नवजात शिशुओं की केसशीट्स में रिकार्ड का संधारण नियमित रुप से किया जाये तथा सभी प्रविष्टियाँ अनिवार्य रुप से दर्ज की जायें। प्रत्येक चिकित्सक अपनी शिफ्ट में नये भर्ती नवजात शिशुओं की प्रविष्टियों के लिये उत्तरदायी होंगे।

7. केसशीट्स की प्रविष्टियों के आधार पर एस.एन.सी.यू. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रतिदिन ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि करेंगे, **सभी चिकित्सक अपने शिफ्ट में हुई प्रविष्टियों का अनिवार्य रुप से अवलोकन कर देखेंगे कि दर्ज की गई प्रविष्टियाँ सही हैं।**

8. एस.एन.सी.यू. में पदस्थ चिकित्सक मदर वार्ड/सिजेरियन वार्ड/पोस्टनेटल वार्ड में भर्ती नवजात शिशुओं का परीक्षण कर केसशीट्स में नोट्स **आवश्यक रूप से** डालेगें।

9. एस.एन.सी.यू. चिकित्सक प्रतिदिन इकाई में भर्ती नवजात शिशु के परिजनों से संवाद कर शिशु की अवस्था के बारे में जानकारी देंगे तथा नवजात शिशु देखभाल से संबंधित परामर्श देंगे।

10. नवजात शिशुओं का एस.एन.सी.यू. में फॉलोअप– 8 दिवस, एक माह, तीन माह, छः माह, एक वर्ष पर एवं समुदाय में छः निर्धारित अवधि में आशा द्वारा गृहभेंट के माध्यम से फॉलोअप सुनिश्चित करें। एस.एन.सी.यू. में फॉलोअप हेतु निर्धारित स्थल पर समय प्रातः 11:00 से दोपहर 1:00 बजे के बीच में फॉलोअप क्लीनिक आयोजित किये जाये एवं फॉलोअप में नवजात शिशु के परीक्षण की जानकारी डिस्चार्ज कार्ड एवं फॉलोअप रजिस्टर में दर्ज की जाये। यदि शिशु फॉलोअप हेतु दोपहर 2.00 बजे के बाद आता है तो उस समय की शिफ्ट का चिकित्सक फॉलोअप करेगा एवं रजिस्टर में जानकारी दर्ज करेगा। बिना परीक्षण किये किसी भी शिशु को वापस न भेजा जाये।

आर.बी.एस.के. से समन्वय

एस.एन.सी.यू. चिकित्सक द्वारा जिला चिकित्सालय में जन्में, ओ.पी.डी. एवं फॉलोअप जाँच के लिये आये समस्त शिशुओं में जन्मजात विकृति की पहचान हेतु स्क्रीनिंग की जाये। विकृति पाये जाने पर जिला आर.बी. एस.के. समन्वयक को जानकारी प्रेषित की जायेगी। फालोअप ओ.पी.डी. में अवरूद्ध विकास (Developmental Delay) की जांच विशेष रूप से की जाये तथा संबंधित प्रकरण को District Early Intervention Center (DEIC) में रेफर किया जाये।

11. नवजात शिशुओं का समुदाय में आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा गृहभेंट के माध्यम से निर्धारित दिवसों पर फॉलोअप किया जाता है। इस हेतु सुनिश्चित किया जाये कि नवजात शिशुओं के माता–पिता का नाम, निवास एवं **मोबाईल नम्बर की पूर्ण जानकारी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर केसशीट्स में दर्ज करें** एवं उस गाँव की आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मोबाईल नम्बर की भी जानकारी अनिवार्य रुप से ली जाये।

12. एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज नवजात शिशुओं के फॉलोअप की जानकारी एस.एन.सी.यू की मासिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कर भेजना सुनिश्चित किया जाये।

13. **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन की उपस्थिति में मेटरनिटी विंग में कार्यरत स्टॉफ (विशेषज्ञ, चिकित्सक, लेबर रूम इन्चार्ज सिस्टर) Perinatal Death Meeting का आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को करें। इन्बॉर्न शिशु में Birth Asphyxia, Sepsis & Preterm with RDS प्रकरणों की मृत्यु समीक्षा में संस्थागत सेवा प्रदायगी में विलंब का कारण ज्ञात कर स्टॉफ को बेहतर कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करें।**

आउटबोर्न शिशु मृत्यु प्रकरण में संबंधित स्वास्थ्य संस्था की लेबर रूम इन्चार्ज चिकित्सक/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम. को Perinatal Death Meeting में सम्मिलित करें। प्रकरण से संबंधित केस रिकॉर्ड रिव्यू करे तथा सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता सुधारने हेतु सुझाव दें।

वर्तमान कमियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये ठोस सुधारात्मक कार्यवाही की जाये तथा राज्य स्तर पर बैठक का कार्यवाही विवरण एवं निर्णय **प्रतिमाह 10 तारीख** तक प्रेषित किये जायें।

14. एस.एन.सी.यू. चिकित्सक अपनी ड्यूटी में Preterm Labour (34 सप्ताह से पूर्व) प्रकरणों में Injection Dexamethasone का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। एस.एन.सी.यू. चिकित्सक **प्रतिदिन** प्रसव कक्ष की स्त्रीरोग विशेषज्ञ/महिला चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्सेस से Injection Dexamethasone के उपयोग के बारे में फीडबैक लेंगे। न्योनेटल नर्स Injection Dexamethasone के उपयोग की जानकारी Antenatal Corticosteroid रजिस्टर में संधारित करेंगी तथा एस.एन.सी.यू. चिकित्सक रजिस्टर को प्रमाणित करेंगे।
15. संक्रमण से बचाव हेतु प्रत्येक एस.एन.सी.यू. चिकित्सक द्वारा एसेप्टिक प्रोटोकॉल का पालन किया जाये।
16. एस.एन.सी.यू. चिकित्सक अपने शिफ्ट में नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल एवं नॅपी बदलने का कार्य ऑन ड्यूटी स्टॉफ नर्सेस के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। वार्ड बॉय तथा आया बाई द्वारा नॅपी बदलना पाये जाने पर उस शिफ्ट के एस.एन.सी.यू. चिकित्सक के वेतन की कटौत्री की जायेगी।
17. एस.एन.सी.यू. चिकित्सक ड्यूटी के दौरान अन–अधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर वेतन की कटौत्री की जायेगी एवं उस माह की प्रोत्साहन राशि के लिये वे अपात्र होंगे।

स्टॉफ नर्स –

एस.एन.सी.यू. के प्रभावी संचालन हेतु 19 महिला स्टॉफ नर्स प्रति इकाई के मान से प्रावधानित की गई हैं, जिसमें से 15 स्टॉफ नर्स एस.एन.सी.यू. के लिये 3 स्टॉफ नर्स प्रसव कक्ष के न्यूबोर्न कॉर्नर के लिये, एक फालोअप ओ. पी.डी. हेतु प्रावधानित हैं। एस.एन.सी.यू. हेतु चयनित स्टॉफ नर्सेस की ड्यूटी नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, फॉलोअप ओ.पी.डी. तथा प्रसव कक्ष के न्यूबार्न केयर कॉर्नर में प्रतिमाह रोटेशन के आधार पर लगाई जाये। किसी भी स्टॉफ नर्स की एक जगह फिक्स्ड ड्यूटी नहीं लगाई जायेगी।

प्रत्येक इकाई में एक स्टॉफ नर्स को इन्चार्ज की ड्यूटी दी जाये, जो इकाई में सामग्री, औषधि के इन्डेन्ट्स, उपकरणों की सफाई, इकाई में Infection Prevention Practices एवं सपोर्ट स्टॉफ के सुपरविज़न हेतु उत्तरदायी होंगी।

सुबह की शिफ्ट में 6 स्टॉफ नर्स (फॉलोअप ओ.पी.डी. एवं न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर की नर्स सम्मिलित हैं), दोपहर एवं रात्रि शिफ्ट में 5/5 स्टॉफ नर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। स्टॉफ कम होने की स्थिति में सुबह, दोपहर एवं रात्रि की शिफ्ट से क्रमशः स्टॉफ कम किया जा सकेगा।

एस.एन.सी.यू. में पदस्थ स्टॉफ नर्स के दायित्व

1. एस.एन.सी.यू. में भर्ती प्रत्येक नवजात शिशु का पंजीयन कर Identification Tag लगायेगी एवं केसशीट में सामान्य प्रविष्टियों को दर्ज करेंगी।
2. एफ.बी.एन.सी. प्रोटोकॉल्स अनुसार चिकित्सक के मार्गदर्शन में भर्ती शिशुओं का प्रबंधन एसेप्टिक प्रोटोकॉल का पालन करते हुये सुनिश्चित करेंगी।
3. केसशीट्स में नर्सेस हेतु निर्धारित ऑर्डरशीट में प्रविष्टियाँ दर्ज करेंगी।
4. एस.एन.सी.यू. स्टॉफ नर्स प्रतिदिन इकाई में भर्ती नवजात शिशु के परिजनों से संवाद कर शिशु की अवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करेंगी तथा नवजात शिशु देखभाल से संबंधित परामर्श देंगी। डिस्चार्ज के समय फॉलोअप के महत्व की जानकारी भी परिजनों को दी जाये। कंगारू मदर केयर, अनन्य स्तनपान, टीकाकरण, साबुन एवं पानी से हाथ धोना, बीमारी के लक्षण पहचानना, परिवार नियोजन से संबंधित परामर्श आदि प्रतिदिन दोपहर 3–4 के मध्य स्तनपान कक्ष में दिया जाये।

5. एस.एन.सी.यू. की साफ–सफाई, फ्यूमिगेशन, उपकरणों को संक्रमणरहित करना इत्यादि कार्यवाही को अधीनस्थ सपोर्ट स्टॉफ के माध्यम से सुनिश्चित करायें।
6. भर्ती नवजात शिशु की आवश्यक नवजात देखभाल के साथ नॅपी बदलने का कार्य किया जायेगा। वार्ड बॉय अथवा आया बाई द्वारा नॅपी बदलना पाये जाने पर उस शिफ्ट की समस्त स्टॉफ नर्सेस के वेतन की कटौत्री की जायेगी।

न्यूबॉर्न केयर कार्नर में पदस्थ स्टॉफ नर्स के दायित्व–

1. प्रत्येक प्रसव में अनिवार्य रुप से नवजात शिशु देखभाल हेतु उपस्थित रहें एवं जन्म के समय नवजात शिशु को हाईपोथर्मिया से बचाव हेतु गर्म रखें एवं शिशु का वजन लें। इन्जेक्शन विटामिन–K_1 प्रोटोकॉल अनुसार दें। जन्म के तुरंत बाद माँ को स्तनपान कराने हेतु प्रेरित करें एवं नवजात में जटिलता के लक्षण होने पर तत्काल एस.एन.सी.यू. चिकित्सक से सम्पर्क कर परीक्षण करायें।
2. न्यूबॉर्न कार्नर रजिस्टर में प्रत्येक न्यूबॉर्न की प्रविष्टि सुनिश्चित करें। समय से पूर्व प्रसव के प्रकरणों में Injection Dexamethasone के उपयोग की ट्रेकिंग व रजिस्टर में प्रविष्टि करेंगी।
3. पोस्टनेटल वार्ड में एस.एन.सी.यू. चिकित्सक को सुबह व शाम राऊण्ड दिलायें।
4. न्यूबॉर्न कार्नर के सभी उपकरणों की क्रियाशीलता एवं आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें। न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर के समस्त उपकरणों को संक्रमणरहित करने का उत्तरदायित्व नियोनेटल नर्स का है।
5. नियोनेटल नर्स ड्यूटी के दौरान अन–अधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर वेतन की कटौत्री की जायेगी।

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

एस.एन.सी.यू. में भर्ती नवजात शिशुओं के रिकार्ड को सॉफ्टवेयर के माध्यम से संधारण करने एवं ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने हेतु प्रति एस.एन.सी.यू. एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की संविदा आधार पर अनुबंध करने का प्रावधान है :–

प्रतिदिन प्रातः 09:00 से 10:00 बजे

- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एस.एन.सी.यू. में रात्रि शिफ्ट में भर्ती हुये नवजात शिशुओं की केसशीट एवं आउटकम की प्रविष्टयाँ सॉफ्टवेयर में दर्ज करेंगें।
- कम्यूनिटी फॉलोअप हेतु नवजात शिशुओं के पालकों/आशा/आंगनवाड़ी को दूरभाष द्वारा एक दिन पहले सूचित करेंगे।

प्रातः 10:00 से 12:00 बजे

- उस दिन होने वाले भर्ती नवजात शिशुओं के केसशीट एवं आउटकम की प्रविष्टयाँ सॉफ्टवेयर में दर्ज करेंगे।
- एस.एन.सी.यू. में भर्ती नवजात शिशुओं की डिस्चार्ज उपरांत प्रविष्टि एवं डिस्चार्ज कार्ड प्रिंट कर उपलब्ध करेंगे।
- डिस्चार्ज के समय नवजात शिशु के कम्यूनिटी फॉलोअप संबंधी कार्ड में जानकारी प्रविष्ट करेंगे।
- डिस्चार्ज होने वाले नवजात शिशुओं के पालकों की कम्यूनिटी एवं फेसिलिटी फॉलोअप हेतु काउंसलिंग करेंगे।
- एस.एन.सी.यू. में भर्ती नवजात शिशुओं के पालकों से वार्तालाप कर केसशीट में भरी हुई सामान्य जानकारी (नाम, पता, मो. नम्बर, आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम इत्यादि) का सत्यापन करेंगे।

दोपहर 12:00 से 01:30 बजे

- जिला चिकित्सालय में जन्में, ओ.पी.डी. एवं फॉलोअप जाँच के लिये आये समस्त शिशुओं में जन्मजात विकृति पाये जाने पर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संधारित करेंगे तथा जिला आर.बी.एस.के. समन्वयक को जानकारी प्रेषित करेंगे।

- दूरभाष से रेफरल का फॉलोअप कर उसकी सॉफ्टवेयर में प्रविष्टी करेंगे।

दोपहर 02:00 से सायं 05:00 बजे

- अन्य जिलों सें रेफर हुये शिशुओं के डिस्चार्ज उपरांत फॉलोअप की जानकारी एकत्रित कर उसकी सॉफ्टवेयर में प्रविष्टी करेंगे।
- फेसिलिटी फॉलोअप की ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि करेंगे।
- कम्यूनिटी फॉलोअप पूर्ण किये जाने की जानकारी हेतु नवजात शिशुओं के पालकों/आशा/आंगनवाड़ी को दूरभाष द्वारा संम्पर्क करेंगे।
- फेसिलिटी फॉलोअप हेतु नवजात शिशुओं के पालकों/आशा/आंगनवाड़ी को दूरभाष द्वारा एक दिन पहले सूचित करेंगे।
- प्रत्येक सोमवार को उपकरण एवं मानव संसाधन की जानकारी अद्ययतन करेंगे।
- एस.एन.सी.यू. प्रपत्र के अनुसार एस.एन.सी.यू. एवं नियोनेटल नर्स से **सेक्शन–ए** की जानकारी एकत्रित कर मासिक रिपोर्ट का संधारण एवं एस.एन.सी.यू. इन्चार्ज चिकित्सक से सत्यापन कराकर माह की 5 तारीख तक childhealthmecell@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

लैब टेक्नीशियन–

1. भारत शासन द्वारा वर्ष 2015–16 की कार्ययोजना में प्रति इकाई 1 लैब टेक्नीशियन का संविदा आधार पर प्रावधान किया गया है।
2. एस.एन.सी.यू. में भर्ती शिशुओं की आवश्यक जाँच (Investigation) हेतु ए.बी.जी.ए. मशीन, बिलूरूबिनो मीटर उपलब्ध कराये गये हैं, जिनके संचालन हेतु लैब टेक्नीशियन को प्रशिक्षित किया गया है। लैब टेक्नीशियन जाँच हेतु आवश्यक रिएजेन्ट्स/सामग्री की उपलब्धता इन्डेन्ट के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। यदि संभव हो तो एस. एन.सी.यू. में ही लैब की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

सपोर्ट स्टॉफ–

1. एस.एन.सी.यू. के रख–रखाव हेतु कलेक्टर रेट पर 3 वार्ड बॉय, 3 आया, 3 सुरक्षागार्ड एवं 2 पार्ट टाईम स्वीपर प्रावधानित है।
2. वार्ड बॉय एवं आया एस.एन.सी.यू. की सफाई, उपकरणों की साफ–सफाई, गाऊन, स्लिपर्स आदि की धुलाई तथा ऑटोक्लेव करना इत्यादि कार्य करेंगे।
3. ड्यूटी पर उपस्थित आया भर्ती नवजात शिशु की माता का साबुन एवं पानी से हाथ धोना तथा गाउन पहनकर इकाई में प्रवेश करना सुनिश्चित करेंगी।
4. सुरक्षागार्ड एस.एन.सी.यू. में भर्ती शिशुओं की माँ को स्टॉफ नर्स के निर्देशानुसार अन्दर जाने देंगे, अन्य किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के इकाई में प्रवेश नहीं देंगे। इकाई में प्रवेश करने वालों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करेंगे।

उपरोक्तानुसार दिशा–निर्देशों के अनुपालन द्वारा नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करें।

(फैज अहमद किदवई)
मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

//6//

पृ.क्र./आर.सी.एच/शिशु स्वास्थ्य/2015/6327 भोपाल, दिनांक: 16/06/2015

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्थानीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
6. संभागीय शिशु स्वास्थ्य एवं एफ.बी.एन.सी. समन्वयक, संभाग–भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
9. समस्त एस.एन.सी.यू. स्टॉफ की ओर पालनार्थ।

मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश